ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, गो0ब0पंत कृषि एवं
प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– — /जी0एस0(शिक्षा)/C2-4-2(3)/2021
देहरादून : दिनांक : 19 अगस्त, 2025

आदेश

डा0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति–गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर का कुलपति पद का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 28 अगस्त, 2025 को पूर्ण हो रहा है। नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया शासन में गतिमान है तथा वर्तमान कुलपति के कार्यकाल की अवधि तक नये कुलपति के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(1) के अन्तर्गत नये कुलपति के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा–11 की उपधारा–(6) के खण्ड–(ग) के अन्तर्गत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल दिनांक 29 अगस्त, 2025 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

ह0/–
ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या 23937 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C2-4-2(3)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. डा0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
6. कुलसचिव, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Raman
(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।